भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1024

दिनांक 4 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

1024. श्री चिराग पासवानः
श्री पी॰आर॰ सुन्दरमः
श्रीमती किरण खेरः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
श्री जितेन्द्र चौधरीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण, संरक्षा और सुरक्षा के लिए निर्भया कोष संचालित करती है और यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है और इसके अन्तर्गत कितनी कायिक निधि दी गई है तथा किन योजनाओं/कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजना के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस कोष के शुरू होने से लेकर इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार निर्भया कोष को समुचित रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए उक्त कोष के अन्तर्गत वन स्टॉप सेंटर हेतु एक योजना को भी स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि प्रदान/जारी की गई है तथा इसके तत्संबंधी कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या ऐसे केन्द्रों की धनराशि के उपयोग तथा कार्यकरण में विसंगतियों/अनियमितताओं का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्भया कोष के न्यायसंगत उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश/तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में वृद्धि पर उद्देशित पहलों के क्रियान्वयन हेतु 3000 करोड़ रुपये की राशि से निर्भया कोष नामक समर्पित कोष स्थापित किया है। आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटन
2013-14	1,000 करोड़ रुपये
2014-15	1,000 करोड़ रुपये
2015-16	1,000 करोड़ रुपये

निर्भया कोष के अंतगर्त मूल्यांकित एवं संस्तुत प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

i) 18.58 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से वन स्टॉप सेंटर।

ii) 69.49 करोड़ रुपये से महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण।

गृह मंत्रालय

i) 200 करोड़ रुपये की पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) का सृजन।

ii) 324 करोड़ रुपये की लागत से देश के सभी पुलिस जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए जांच यूनिट (आईयूसीएडब्ल्यू) का सृजन।

(ग): अन्य मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाती है।

(घ): जी, हां। वन स्टॉप सेंटर स्कीम अनुमोदित कर दी गई है जो 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि अर्थात 2015-16 ओर 2016-17 की परियोजना लागत निर्माण लागत सहित 18.58 करोड़ रुपये है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 33 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 10.71 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई/ निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ड़): जी, नहीं।

(च): वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने निर्भया कोष से निधियन किए जाने के लिए मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्कीमों/ परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है जिसमें गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"निर्भया कोष" विषय पर श्री चिराग पासवान, श्री पी.आर. सुन्दरम, श्रीमती किरण खेर, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री जितेन्द्र चैधरी द्वारा दिनांक 04 दिसंबर, 2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1024 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)
1.	छत्तीसगढ़	38,22,077
2.	चण्डीगढ़	13,19,120
3.	उत्तराखण्ड	13,19,120
4.	सिक्किम	45,88,047
5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,19,120
6.	असम	38,84,120
7.	नागालैण्ड	45,88,047
8.	दमन व दीव	45,88,047
9.	आंध्र प्रदेश	13,19,120
10.	पंजाब	43,82,120
11.	तमिलनाडु	45,88,047
12.	त्रिपुरा	45,88,047
13.	गोवा	45,88,047
14.	हरियाणा	36,40,870
15.	तेलंगाना	45,88,047
16.	मध्य प्रदेश	45,88,047
17.	उत्तर प्रदेश	45,88,047
18.	महाराष्ट्र	45,88,047
19.	मेघालय	13,19,120
20.	ओडिशा	10,28,060
21.	अरुणांचल प्रदेश	13,19,120
22.	झारखण्ड	10,26,800
23.	राजस्थान	12,12,120
24.	कर्नाटक	45,88,047
25.	पुदुचेरी	37,00,000
26.	केरल	45,08,047
27.	मणिपुर	12,89,120
28.	बिहार	13,19,120
29.	गुजरात	45,88,047
30.	दादर नगर हवेली	43,37,582
31.	जम्मू व कश्मीर	45,88,047
		10,71,09,367